भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 336

24 जुलाई, 2024

"नई चीनी मिलें"

336. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सहायता से नई और अत्याधुनिक चीनी मिलों की स्थापना करने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी चीनी मिलों की स्थापना की गई है; और

(घ) उत्तर प्रदेश सहित देश में कितनी चीनी मिलें स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): केंद्र सरकार द्वारा देश के किसी भी भाग में चीनी मिल की स्थापना नहीं की जाती है। इसके अलावा, दिनांक 31.08.1998 के प्रेस नोट द्वारा चीनी उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता वाले उद्योगों की सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद, कोई भी उद्यमी समय-समय पर यथासंशोधित गन्ना (नियंत्रण) आदेश के खंड 6-क से 6-ड. में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार देश के किसी भी भाग में चीनी मिल स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है।

(घ) इसके अतिरिक्त, चीनी मौसम 2023-24 के दौरान, देश भर में लगभग 534 चीनी मिलें प्रचालनरत थीं, जिनमें से 121 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश राज्य में थीं।

———